प्रेस प्रकाशनी

सोमवार, 12 मार्च, 2012 से आरंभ हुआ संसद का बजट सत्र, 2012 मंगलवार, 22 मई, 2012 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

2. यह सत्र दो भागों में आयोजित हुआ था। पहले भाग में, दोनों सदनों की बैठकें 12 मार्च से 30 मार्च, 2012 तक आयोजित हुई। सत्र के दूसरे भाग के दौरान दोनों सदनों की बैठकें 24 अप्रैल से 22 मई, 2012 तक आयोजित हुई। विभागीय स्थायी समितियों द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदान मांगों की जांच करने और सदन में अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए लोक सभा और राज्य सभा में 31 मार्च से 23 अप्रैल, 2012 तक मध्यावकाश रहा।

3. सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 34 बैठकें हुई – 14 बैठकें पहले भाग के दौरान तथा 20 बैठकें दूसरे भाग के दौरान।

4. बजट सत्र, 2012, वर्ष का प्रथम सत्र होने के नाते, 12 मार्च, 2012 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया तथा इसे बुलाए जाने के उद्देश्य के बारे में संसद को सूचित किया। लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तावित और डॉ. शशि थरूर द्वारा अनुमोदित किया गया। राज्य सभा में इसे डॉ. सत्यवृत चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तावित और डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन द्वारा अनुमोदित किया गया। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों द्वारा इस पर चर्चा की गई और इसे स्वीकृत किया गया।

5. इस सत्र में मुख्य रूप से वर्ष 2012-13 के लिए रेल बजट और सामान्य बजट से संबंधित वित्तीय कार्य निपटाया गया। सत्र के पहले भाग के दौरान, वर्ष 2012-13 के लिए रेल बजट संसद में बुधवार, 14 मार्च, 2012 को प्रस्तुत किया गया और वर्ष 2012-13 के लिए सामान्य बजट शुक्रवार, 16 मार्च, 2012 को प्रस्तुत किया गया।

6. दोनों सदनों में रेल बजट और सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा हुई। लोक सभा में रेल बजट और सामान्य बजट से संबंधित लेखानुदान मांगों, अनुपूरक अनुदान मांगों और अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी हुआ। सत्र के पहले भाग के दौरान इन मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया, उन पर विचार गया और उन्हें पारित किया गया। तत्पश्चात राज्य सभा द्वारा इन विनियोग विधेयकों को लौटाया गया।

7. सत्र के दूसरे भाग के दौरान, लोक सभा में रेलवे संबंधी अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान हुआ और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया और तत्पश्चात राज्य सभा द्वारा इन विनियोग विधेयकों को लौटाया गया। लोक सभा द्वारा (i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; (ii) शहरी विकास; (iii) गृह; और (iv) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान किया गया। जिन शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं की जा सकी, उन्हें सदन के मतदान हेतु प्रस्तुत किया गया और उन पर गुरूवार, 3 मई, 2012 को पूर्ण मतदान हुआ। संबंधित विनियोग विधेयक को भी लोक सभा में पुर:स्थापित, विचार और पारित किया गया और तत्पश्चात उन्हें राज्य सभा द्वारा लौटाया गया।

8. इस अवधि के दौरान, राज्य सभा में (i) श्रम और रोजगार; (ii) कोयला; और (iii) रक्षा मंत्रालय के कार्यचालन पर चर्चा की गई। दोनों सदनों द्वारा वित्त विधेयक, 2012 पर भी विचार किया गया और पारित/लौटाया गया।

9. इसके अतिरिक्त, लोक सभा में नियम 193 के अंतर्गत (i) दोषपूर्ण सरकारी नीतियों के कारण कामगार वर्ग में फैले व्यापक असंतोष; (ii) राष्ट्रीय वाहक कंपनी के कार्यों में बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन के कारण नागर विमानन के क्षेत्र में व्यापक नीतिगत परिवर्तन करने की आवश्यकता; (iii) गंगा नदी की प्रदूषण से और हिमालय की निर्मम दोहन से रक्षा करने की आवश्यकता; (iv) खाद्य अनाजों की खरीद के लिए दोषपूर्ण नीति और उनके भंडारण के लिए अपर्याप्त सुविधाएं; और (v) केंद्र-राज्य संबंधों पर पांच अल्पावधि चर्चाएं हुई। राज्य सभा में नियम 176 के अंतर्गत (i) सेवा के दौरान पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण; (ii) देश में खाद्य अनाजों के भंडारण की समस्या; और (iii) पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाना और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों पर अल्पावधि चर्चाएं हुई।

10. सत्र के दौरान, लोक सभा में (i) कर्नाटक राज्य में भयंकर सूखा; (ii) नॉर्वे के अधिकारियों द्वारा भारतीय दंपत्ति के बच्चों को उनसे अलग किया जाना; (iii) आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल करने की आवश्यकता; (iv) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन को कार्यान्वित नहीं करने; और (v) राजस्थान में, विशेषकर झुन्झुनू और चूरू में पेयजल की कमी पर 5 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और राज्य सभा में (i) पूवोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों को पेश आ रहे भेदभाव और जातिगत रंगभेद; और (ii) कर्नाटक राज्य में भयंकर सूखे पर दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, लोक सभा में एक और राज्य सभा में दो आधे-घंटे की चर्चा भी हुई।

11. रविवार, 13 मई, 2012 को संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाए जाने के उपलक्ष्य में दोनों सदनों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई।

12. सत्र के दौरान 26 विधेयक (21 लोक सभा में और 5 राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 21 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 22 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या 21 है। पुर:स्थापित/पारित किए गए विधेयकों की सूची संलग्न है।

पंद्रहवीं लोक सभा के 10वें सत्र और राज्य सभा के 225वें सत्र (बजट सत्र) के दौरान संसद में निष्पादित विधायी कार्य

I- <u>**लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक**</u>

1. वित्त विधेयक, 2012
2. विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2012
3. विनियोग (रेल) विधेयक, 2012
4. विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2012
5. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012
6. विनियोग विधेयक, 2012
7. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2012

8. जलदस्युता विधेयक, 2012
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012
10. विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 2012
11. प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012
12. राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012
13. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2012
14. भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2012
15. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2012
16. लोक उपापन विधेयक, 2012
17. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2012
18. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012
19. अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक, 2012
20. लघु वित्तीय संस्थाएं (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012
21. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012

II- राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2012
2. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
3. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2012
4. आनंद विवाह (संशोधन) विधेयक, 2012
5. रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

III- लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2012
2. विनियोग (रेल) विधेयक, 2012
3. विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2012
4. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012
5. विनियोग विधेयक, 2012
6. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2012
7. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012
8. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2012
9. विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 2012
10. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012
11. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012
12 केंद्रीय शैक्षिक संस्थाएं (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012
13. वित्त विधेयक, 2012
14. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2012
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012
16. महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 2011

17. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2012
18. रेलवे संपत्ति (विधिविरूद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2012
19. प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012
20. आनंद विवाह (संशोधन) विधेयक, 2012
21. बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण विधेयक, 2012

IV- <u>लोक सभा द्वारा पारित विधेयक – राज्य सभा में लंबित</u>

1. न्यायिक मानक और दायित्व विधेयक, 2010
2. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2011

V- <u>राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक – लोक सभा में लंबित</u>

1. रासायनिक हथियार अभिसमय (संशोधन) विधेयक, 2010
2. मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2007